संख्या:01/2024/1740/12-2-2023-1/2019 टी0सी0

प्रेषक,

डा0 देवेश चतुर्वेदी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश,लखनऊ।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ: दिनॉक: 02 जनवरी, 2024

विषय:यू0 पी0 एफ0पी0ओ0 शक्ति पोर्टल पर पंजीकृत "कृषक उत्पादक संगठनों" के परफार्मेन्स आधारित वर्गीकरण किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या: 103/2022/1901/12-2-2022-1/2019 टी0सी0, दिनांक 26 दिसम्बर, 2022 तथा शासनादेश संख्या: 511/12-2-2023-01/2019 टी0सी0-1 दिनांक 24 मार्च, 2023 के क्रम में अपने पत्र संख्या: 351/दलहन-104/एफपीओ (ग्रेडिंग/ वर्गी0)/2023-24, दिनांक 29 नवम्बर, 2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा यू0 पी0 एफ0पी0ओ0 शक्ति पोर्टल पर पंजीकृत 'कृषक उत्पादक संगठनों' के परफार्मेन्स आधारित वर्गीकरण किए जाने का अनुरोध किया गया है।

2. शासन के उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 26 दिसम्बर, 2022 द्वारा एफ0पी0ओ0 शक्ति पोर्टल पर पंजीकृत कृषक उत्पादक संगठनों के परफार्मेंस आधारित वर्गीकरण किए जाने के सम्बन्ध में कतिपय दिशा-निर्देश जारी करते हुए वर्गीकरण किया गया है।

3. उल्लेखनीय है कि केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा कृषकों की आय में वृद्धि के उद्देश्य से 'कृषक उत्पादक संगठनों' को प्रोत्साहित किया जा रहा है। केन्द्र सरकार की सम्पूर्ण देश में 10,000 कृषक उत्पादक संगठनों को गठित करने की योजना तथा राज्य सरकार की "आत्म-निर्भर कृषक समन्वित विकास योजना" के अन्तर्गत कृषक उत्पादक संगठन का गठन करा कर उनका यू0 पी0 एफ0पी0 ओ0 शक्ति पोर्टल पर पंजीकरण जनपदीय उप कृषि निदेशक के माध्यम से किया जा रहा है। कन्वर्जेंस की नीति के अन्तर्गत केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा पोषित योजनाओं में एफ0पी0ओ0 को वरीयता दी जा रही है।

4. विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ लेने के लिए सभी प्रकार के कृषक उत्पादक संगठनों का यू0पी0एफ0पी0ओ0 शक्ति पोर्टल पर पंजीकरण होना अनिवार्य है तथा शासनादेश दिनांक 26 दिसम्बर, 2022 तथा शासनादेश दिनांक 24 मार्च, 2023 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार यू0पी0एफ0पी0ओ0 शक्ति पोर्टल पर पंजीकृत कृषक उत्पादक संगठनों का उनके परफार्मेन्स के आधार पर 21 बिन्दुओं का मूल्यांकन करते हुए उनकी ग्रेडिंग/रेटिंग कर 'रैंकिंग' यू0पी0 शक्ति पोर्टल पर दर्ज की गयी है। ग्रेडिंग स्कोर की सख्त सीढ़ी होने के कारण एफ0पी0ओ0 को बेहतर ग्रेड प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है, जिससे एफ0पी0ओ0 का मनोबल गिरता है।

5. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान में ग्रेडिंग के स्कोर के आधार पर A, B, C, D, E की 05 श्रेणियॉ हैं। इन 05 श्रेणियों के स्थान पर ग्रेड स्कोर के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

श्रेणी को कम करते हुए A, A-, B, B-, C की नयी श्रेणी एवं संशोधित ग्रेड स्कोर के श्रेणी/ग्रेडिंग को निम्नानुसार निर्धारित किए जाने का निर्णय लिया गया है ताकि ग्रेड स्कोर में बदलाव होने पर अधिक से अधिक एफ0पी0ओ0 विभिन्न श्रेणी में वर्गीकृत हो सकें:-

पूर्व में प्राविधानित व्यवस्था				वर्तमान में प्राविधानित व्यवस्था		
क्र0सं0	स्कोर स्लैब	वर्तमान श्रेणी	स्कोर के आधार पर एफपीओ की संख्या	स्कोर स्लैब	परिवर्तित श्रेणी (ग्रेड)	एफपीओ की संख्या (स्कोर के बदले हुए के स्लैब के आधार पर)
1	100-86	A	1	100-71	A	5
2	85-71	B	4	70-56	A-	15
3	70-56	C	15	55-41	B	43
4	55-40	D	46	40-26	B-	108
5	39-01	E	514	25-01	C	413

6. शासनादेश दिनांक 26 दिसम्बर, 2022 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाए। शेष नियम व शर्ते यथावत रहेंगीं।

भवदीय,
डा0 देवेश चतुर्वेदी
अपर मुख्य सचिव।

संख्या:01/2024/1740/12-2-2023-1/2019 टी0सी0 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त संयुक्त कृषि निदेशक/उप कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश।
3. निजी सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
4. गार्ड बुक।

आज्ञा से
ऋषिरेन्द्र कुमार
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।